



सूचना का
अधिकार

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

क्रमांक-प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 म.


जयपुर, दिनांक 25-04-2014

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अन्तर्गत जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानकारी गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब से आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपसे से अधिक नहीं होगी।

इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सूचना आयोग द्वारा जो शास्ति अधिरोपित की जाती है वह राज्य लोक सूचना अधिकारी पर आरोपित की जाती है। मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभाग/निगम/संस्थान/स्वशासी संस्थाओं के लोक प्राधिकारी शास्ति की राशि राजकोष से जमा करवा रहे हैं।

अतः समस्त लोक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति राजकोष से जमा नहीं करवायें और राशि की संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी से तसूल कर आयोग को भिजवाई जावे।


(रकेश वर्मा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव